राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 621/2025

विनोद कुमार बोचल्या **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) और अतिरिक्त निदेशक (प) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा (मुख्यालय) उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.03.2025
आदेश की दिनांक : 16.04.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हितेश कुमार विश्नोई, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. पूर्व में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर में अपील संख्या 500/2025 सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य में दिनांक 24.02.2025 को निस्तारण किया गया, जिसमें अपीलार्थी विनोद कुमार बोचल्या (अपील संख्या 503/2024) की भी अपील निस्तारित की गई।
2. अपीलार्थी ने पुनः नई अपील प्रस्तुत कर अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर मेडिकल कॉलेज सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से महात्मा गांधी अस्पताल जिला जोधपुर में पार्वती सैनी के स्थान पर राजनैतिक कारणों से स्थानांतरण किया गया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की पिता गम्भीर रूप से असाध्य रोग से ग्रसित है। अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती निर्मला शिक्षा विभाग में जिला सीकर में कार्यरत है। राज्य सरकार की नीति रही है कि यदि पति–पत्नी

यदि राजकीय सेवा में है तो उन्हें यथासम्भव एक स्थान अथवा निकटस्थ स्थान पर कार्यरत रखा जावे। अतः अपीलार्थी ने विवादित आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती देकर निरस्त कर अपीलार्थी को यथावत रखे जाने का अनुतोष चाहा है।

4. राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2025 द्वारा प्रकरण का निस्तारित कर अपीलार्थी के अभ्यावेदन को राज्य सरकार द्वारा 2 सप्ताह की अवधि में निस्तारित करने का आदेश प्रदान किया है, जो विभाग में विचाराधीन है। अपीलार्थी ने पूर्व में प्रस्तुत तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए पुनः अपील प्रस्तुत की गई है, जो चलने योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।
5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।
6. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलार्थी नर्सिंग अधिकारी के पद पर मेडिकल कॉलेज सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से महात्मा गांधी अस्पताल जिला जोधपुर में प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोकहित में किया जाकर दिनांक 27.01.2025 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर के आदेश दिनांक 24.02.2025 द्वारा प्रकरण निस्तारित कर अपीलार्थी के अभ्यावेदन को राज्य सरकार द्वारा 2 सप्ताह की अवधि में निस्तारित करने का आदेश प्रदान किया है, जो विभाग में विचाराधीन है। अपील संख्या 503/2025 में अपीलार्थी ने पूर्व में प्रस्तुत तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए पुनः नई अपील प्रस्तुत की है, जो चलने योग्य नहीं होने से अपील सारहीन तथा बलहीन होने से खारिज की जाने योग्य है।
7. अतः अपील अपीलार्थी मय स्थगन प्रार्थना पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर) **सदस्य**	**(लेखराज तोसावड़ा)** **सदस्य**